

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठारानी अधिकारी—श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 160/2024

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. हेमराज पुत्र गिरधारीराम		1. चुतराराम पुत्र सुराराम
2. ताजाराम पुत्र गिरधारीराम		2.. भेराराम पुत्र सुराराम
3. पीराराम पुत्र गिरधारीराम		3. घमाराम पुत्र रामाराम
4. रामचन्द्र पुत्र गिरधारीराम		4. पदमाराम पुत्र रामाराम
5. शेराराम पुत्र गिरधारीराम		5. हिमताराम पुत्र रामाराम
6. कलाराम पुत्र नीम्बाराम		6. चिमाराम पुत्र टीकमाराम
7. ठाकराराम पुत्र नीम्बाराम		7. ताजाराम पुत्र टीकमाराम
8. मोटाराम पुत्र शेराराम		8. नगाराम पुत्र टीकमाराम
9. हीराराम पुत्र शेराराम		9. गिरधारीराम पुत्र जीयाराम
10. चन्दु पत्नी शेराराम		10. चिमनाराम पुत्र जीयाराम
11. चूनाराम पुत्र हड्डूमानराम		11. गोकलाराम पुत्र पुनमाराम
12. जीयाराम पुत्र हड्डूमानराम		12. भोमाराम पुत्र हुकमाराम
13. ठाकराराम पुत्र हड्डूमानराम		13. देवाराम पुत्र रायमलराम
14. चेनी पत्नी हड्डूमानराम		14. पाबूराम पुत्र रायमलराम
15. जोगाराम पुत्र गेनाराम		15. हड्डूमानराम पुत्र रायमलराम
16. मिसराराम पुत्र गेनाराम		16. राणाराम पुत्र भारमलराम
17. लहरो पत्नी गेनाराम		17. रामाराम पुत्र भारमलराम
18. मानाराम पुत्र गिरधारीराम		18. गोरखाराम पुत्र सोनाराम
19. धनाराम पुत्र हेमराज		19. जेठाराम पुत्र सोनाराम
20. हड्डूमानराम पुत्र हेराजराम, उम्र—व्यसक, जातियान जाट, निवासी होडू, तहसील—सिणधरी, जिला—बालोतरा		20. भूराराम पुत्र सोनाराम
		21. वगताराम पुत्र सोनाराम
		22. चौखाराम पुत्र पुरखाराम, जातियान जाट, निवासी—पोटलियों की ढाणी तहसील—सिणधरी, जिला—बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम
1956 (वास्ते—विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति—

1. श्री जोगराज पोटलिया , अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित ।
2. विप्रार्थी एकतरफा ।

आदेश



दिनांक 10.03.2025

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत मौजा पोटलियों की ढाणी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 1765 रकबा 5.4850 हैक्टर

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माटे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा पोटलियों की ढाणी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 1765 रकबा 5.4850 हैक्टयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्राथीगर्ण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा पोटलियों की ढाणी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 1765 रकबा 5.4850 हैक्टयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माटे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा पोटलियों की ढाणी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 1765 रकबा 5.4850 हैक्टयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4. हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा पोटलियों की ढाणी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 1765 रकबा 5.4850 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्ड सहखातेदा है, और रिकार्ड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है, इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती, तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करते। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

3
उपरोक्त आवेदारी
सिणधरी

5. लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया कि मौजा पोटलियों की ढाणी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 1765 रकबा 5.4850 हैक्टर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिशनर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकरर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 10.03.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी